न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर दौसा
मु॰ नं॰ 66/2023 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
उनवान - श्रवण बनाम रामभरोसी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-3-24	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं॰ 1 लगा॰ 30 में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत कराया गया। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री राकेश मीना का स्थानांतरण हो चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष के कथन पर मनन किया गया। विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण श्री राकेश मीना उपखण्ड अधिकारी सिकराय के विरुद्ध पेश किया गया है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण सं॰ 34/2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251क राज॰ काश्तकारी अधिनियम उनवानी रामभरोसी आदि बनाम मिश्रीलाल आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रार्थी श्रवण पुत्र भौरया मीना निवासी गण्डरावा तहसील बहरावण्डा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय [illegible] जावे। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्टि [illegible] निर्णय आज दिनांक 11-3-2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (सुमित्रा पारीक) अति॰ जिला कलक्टर दौसा (राज॰)	(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.03.14 17:47:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official